



दिनांक 11.07.2024

प्रेस विज्ञप्ति 12/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सीतापुर/थाना खैराबाद

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
 - 4200/-रुपये नगद
 - 01 मोबाइल फोन
 - 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 11.07.2024 को थाना खैराबाद व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रहीमाबाद पुल के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त बाबर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 4200/-रुपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खैराबाद पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानों पर चोरी, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खैराबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बाबर निवासी टांडा गुरसण्डा थाना पिसावां जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—4200 /—रूपये नगद।

2—01 मोबाइल फोन।

3—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद ललितपुर/थाना कोतवाली

- पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूट के 59 हजार 930 रूपये नगद
 - घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल
- 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 11.07.2024 को थाना कोतवाली व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम दैलवारा नहर पटरी के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—अनुज कुमार उर्फ मैक्स उर्फ आकाश 2—चन्दन उर्फ सुमित उर्फ सतवीर 3—बीरू कुमार घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 59 हजार 930 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-अनुज कुमार उर्फ मैक्स उर्फ आकाश निवासी जुराबगंज थाना कोड़ा जनपद कटियार, बिहार।
- 2-चन्दन उर्फ सुमित उर्फ सतवीर निवासी जुराबगंज थाना कोड़ा जनपद कटियार, बिहार।
- 3-बीरू कुमार निवासी दुर्गा स्थान रौतारा जनपद कटियार हालपता-ग्राम जुराबगंज थाना कोड़ा जनपद कटियार, बिहार।

बरामदगी

- 1-लूट के 59 हजार 930 रुपये नगद।
- 2-घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।
- 3-03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद कुशीनगर/थाना अहिरौली बाजार

- चोरी की घटना का अनावरण

- 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 15 लाख रुपये कीमत के चोरी की 02 एलईडी टीवी, 01 एम्पलीफायर, 02 मानीटर, 01 सीपीयू, 03 इन्वार्टर, 01 वाई-फाई राउटर, 01 पावर सप्लाय, 01 लैपटॉप, 09 बैट्री, 01 मोबाइल फोन आदि

- 2600/- रुपये नगद

- चोरी करने के उपकरण

- घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो, 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 11.07.2024 को थाना अहिरौली बाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पकड़ी बावन तिराहा के पास से 04 अभियुक्तों 1-सुग्गन 2-योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र 3-जावेद 4-विष्की को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का

अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख रुपये कीमत के चोरी की 02 एलईडी टीवी, 01 एम्पलीफायर, 02 मानीटर, 01 सीपीयू, 03 इन्वार्टर, 01 वाई-फाई राउटर, 01 पावर सप्लाइ, 01 लैपटॉप, 09 बैट्री, 01 मोबाइल फोन आदि, 2600/- रुपये नगद, चोरी करने के उपकरण, घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि थाना अहिरौली बाजार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अहिरौली बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद टीवी, मानीटर, लैपटॉप, इन्वार्टर, बैट्री आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-सुग्गन निवासी डुमरी सवांगी पट्टी थाना हाटा जनपद कुशीनगर।
- 2-योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र निवासी सिघना थाना हाटा जनपद कुशीनगर।
- 3-जावेद निवासी डुमरी सवांगी पट्टी थाना हाटा जनपद कुशीनगर।
- 4-विक्की निवासी सिघना थाना हाटा जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

- 1-लगभग 15 लाख रुपये कीमत के चोरी की 02 एलईडी टीवी, 01 एम्पलीफायर, 02 मानीटर, 01 सीपीयू, 03 इन्वार्टर, 01 वाई-फाई राउटर, 01 पावर सप्लाइ, 01 लैपटॉप, 09 बैट्री, 01 मोबाइल फोन आदि।
- 2-2600/- रुपये नगद।
- 3-चोरी करने के उपकरण।
- 4-घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो, 01 मोटर साइकिल।

जनपद मुरादाबाद/थाना बिलारी

- चोरी की घटना का अनावरण
- पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार
 - चोरी के 10 हजार रुपये नगद
 - चोरी के सोने-चाँदी के आभूषण
- चोरी की 01 कार, 01 मोटर साइकिल
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 11.07.2024 को थाना बिलारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिलारी चन्दौसी मुख्य मार्ग से थॉवला जाने वाले रास्ते पर पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1-तालिब 2-फरमान को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 10 हजार रुपये नगद, चोरी के सोने-चाँदी के आभूषण, चोरी की 01 कार, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.06.2024 को थाना बिलारी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिलारी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रुपये, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बिलारी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-तालिब निवासी मो0प्यास करखा व थाना सिरौली जनपद बरेली।

2-फरमान निवासी मधुकर थाना शाहबाद जनपद रामपुर।

बरामदगी

1-चोरी के 10 हजार रुपये नगद।

2-चोरी के सोने-चाँदी के आभूषण।

3-चोरी की 01 कार, 01 मोटर साइकिल।

4-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना रबूपुरा

● पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

● 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस

● 01 कार बरामद

दिनांक: 11.07.2024 को थाना रबूपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर-20 गौर यमुना सिटी के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1-गौरव 2-सौरभ घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3-विकेश 4-गोविन्दा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 कार बरामद हुयी। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-गौरव निवासी ग्राम भोयरा थाना रबूपुरा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2-सौरभ निवासी ग्राम भोयरा थाना रबूपुरा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3-विकेश निवासी ग्राम मोहल्ला टंकीवाला जहाँगीरपुर थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

4-गोविन्दा निवासी ग्राम मोहल्ला टंकीवाला जहाँगीरपुर थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1-03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2-01 कार।

जनपद इटावा/थाना जसवंतनगर

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की घटनाओं का अनावरण
- चोरी के 02 महिन्द्रा ट्रैक्टर बरामद

दिनांक: 10/11.07.2024 की रात्रि थाना जसवंतनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शंकर ढाबे के पास बन्द पड़े भट्टे के पीछे से अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ सुनील को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 महिन्द्रा ट्रैक्टर बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना जसवंतनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जसवंतनगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद ट्रैक्टर चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजेश कुमार उर्फ सुनील निवासी ग्राम गुदाऊ टार डूँमर सिंह थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—चोरी के 02 महिन्द्रा ट्रैक्टर।

➤ जनपद सोनभद्र/थाना करमा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 02 लाख रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना करमा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी भादवि व 3(2)(5)

एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विकास को आजीवन कारावास व 02 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद शाहजहाँपुर/थाना मिर्जापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना मिर्जापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नन्हे बाबू को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद हरदोई/थाना बेनीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा व 08 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना बेनीगंज पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त दीपक को धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत आजीवन सश्रम कारावास व 08 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद महोबा/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार 500 रुपये अर्थदण्ड)

जनपद महोबा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महोबा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377/342 भादवि व 5एस/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त देवीदयाल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद अमरोहा/थाना सैदनगली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना सैदनगली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/452/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मुकेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

—————